Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस

अपील संख्याः 14/15 **निर्णय दिनांकः– 30–08–2019**

1. जगदीश पुत्र रामनारायण जाति बिश्नोई निवासी चक 6 डीकेडी तहसील पूगल जिला बीकानेर।
2. कृष्ण पुत्र रामनारायण जाति बिश्नोई निवासी चक 6 डीकेडी तहसील पूगल जिला बीकानेर।
3. राजेन्द्र पुत्र रामनारायण जाति बिश्नोई निवासी चक 6 डीकेडी तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्

अपीलें विरुद्व आदेश दिनांक 22–09–2014
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितः–

1. श्री नरसाराम जाखड़, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 22–09–2014 जिसके माध्यम से अपीलांट की खातेदारी भूमि में से विधि विरूद्व तरीके से रास्ता स्वीकृत किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट की खातेदारी भूमि चक 6 डीकेडी के मुरब्बा नम्बर 124/15, में कुल 25 बीधा भूमि स्थित है। जिस पर वर्तमान में मौके पर फसल खड़ी है। अपीलांट की उक्त खातेदारी भूमि में से मुरब्बा नम्बर 124/15 में किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में से 10 बिस्वा भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने के आदेश जारी कर दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील के माध्यम से अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किये गये है। जबकि ग्रामवासियों को आवागमन हेतु पूर्व में ही अन्य रास्ता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में उक्त रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते के प्रचलित नियमों के विपरीत जाकर रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश प्रसारित करने से पूर्व किसी भी काश्तकार को कोई नोटिस अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किया गया। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया आदेश है। ऐसा आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व ना तो कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई ना ही पड़ौसियों के कोई बयान लिये गये ना ही रिबिटल में कुछ भी कहने का कोई अवसर प्रदान किया गया। केवल मात्र रास्ता कायम करने के उद्वेश्य मात्र से तमाम कार्यवाही की गई है। नियमानुसार किसी की भी खातेदारी भूमि में से रास्ता कायम किया जाता है तो उस खातेदार को क्षतिपूर्ति दी जानी आवश्यक है क्योंकि उसकी खातेदारी भूमि कम की जा रही होती है। ऐसी स्थिति में खातेदार अर्थात भूमिधारक को आर्थिक नुकसान होता है। ऐसे खातेदारी भूमि पर रास्ता कायम करने से पूर्व खातेदार की सहमति/असहमति लिया जाना आवश्यक है। अदालत मातहत ने कानूनी प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौके की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। यदि वादगत् भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाती है प्रकरण की वास्तविक स्थिति अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत हो जाती है अदालत मातहत द्वारा ऐसा न करके न्याय की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा बिना किसी आधार के व बिना किसी जॉच के बिना रिकार्ड का अवलोकन किये बिना मौका रिपोर्ट प्राप्त किये आनन—फानन में आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 8 (2) के तहत पारित करते हुए रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है जबकि उक्त धारा वर्ष 2012 में ही विलोपित की जाकर उक्त धारा के स्थान पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए कायम की गई है। ऐसी स्थिति में यदि अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता कायम भी किया जाना था तो धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने की दशा में ही आदेश पारित किया जा सकता था। लिहाजा आदेश जैर अपील विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज योग्य आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीालांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2016 स्प. पेज 663 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत रूप से संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई है तथा तहसीलदार द्वारा उक्त रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता की रिपोर्ट के अनुसरण में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है। उक्त आदेश से किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है वरन् ग्रामवासियों को आवागमन हेतु सुविधा ही प्रदान होगी। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 8 (2) के तहत चक 6 डीकेडी के मुरब्बा नम्बर 124/15 में किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में से 10 बिस्वा बिस्वा भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये है।

इस संबंध में हमने अपीलाधीन आदेश व चकप्लान का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील जनहित में माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार जयपुर के बीकानेर संभाग में मंत्रीमण्डल की बैठक के दौरान की गई धोषणाओं के आधार पर रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है।

प्रकरण में उल्लेखनीय है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा रास्ते जैसे महत्वपूर्ण प्रकरण में जहॉ एक तरफ तो अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया वहीं दूसरी तरफ अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं करते हुए एकतरफा तौर पर राजस्थान उपनिवेशन (जनरल कॉलोनी कण्डीशन्स) की शर्त 8 (2) के तहत रास्ता कायम करने के आदेश पारित किया गया है। परन्तु उक्त शर्त में प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त आदेश पारित करने का प्रावधान है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व पटवारी की रिपोर्ट में भी कहीं उल्लेख नहीं है कि क्या प्रस्तावित रास्ता चालू है तथा क्या उक्त रास्ता दो गांवों या अन्य रास्तों को जोड़ता है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश अविवेकपूर्ण तथा विधिक प्रावधानों से असंगत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2016—17 स्प. पेज 663 पतराम बनाम सरकार में स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि गैर मुमकीन रास्ते के संबंध में कोई ठोस सामग्री नहीं, काश्तकार को नोटिस जारी नहीं किया और सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया—किसी काश्तकार ने प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया और स्वतः रास्ता स्वीकृत किया। निर्णय अपास्त किया गया। उक्त नजीर मामलें पर पूर्णतया व अक्षरशः चस्पा होती है।

7. अतः उक्त विवेचना व नजीर के प्रकाश में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है व उपखण्ड अधिकारी, पूगल का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22–09–2014 अपीलांट खातेदारी भूमि की सीमा की हद तक निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 30–08–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर